

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 520]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2015—पौष 7, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

क्र. 10104-381-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 दिसम्बर 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

**मध्यप्रदेश अधिनियम**

क्रमांक २२ सन् २०१५

**मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-६ ) अधिनियम, २०१५**

[ दिनांक २८ दिसम्बर, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ दिसम्बर, २०१५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-६ ) अधिनियम, २०१५ है.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ५८,८९,७१,१३,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रु. पांच हजार आठ सौ नवासी करोड़ इकहत्तर लाख तेरह हजार केवल होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

**अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )**

( आंकड़े रूपों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवार्ये और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	३,४५,११,००,०००	३,४५,११,००,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	२२,८३,६०,०००	१,००,०००	२२,९२,६०,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	७००	०	७००
		पूंजी	९०,००,०००	०	९०,००,०००
०५.	जेल	राजस्व	१३,००,००,०००	०	१३,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये		
०६.	वित्त	राजस्व	३,१४,५६,०००	०	३,१४,५६,०००
१०.	वन	राजस्व	६४,७५,००,०००	०	६४,७५,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	३४,८९,१५,०००	०	३४,८९,१५,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	११,६८,३३,०००	०	११,६८,३३,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२५,०८,८२,०००	०	२५,०८,८२,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	६,६३,३२,०००	०	६,६३,३२,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	५८,४५,८४,०००	०	५८,४५,८४,०००
१८.	श्रम	राजस्व	१,७०,००,०००	०	१,७०,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	२,१४,०७,०६,६००	०	२,१४,०७,०६,६००
२३.	जल संसाधन	राजस्व	४,२०,००,०००	०	४,२०,००,०००
		पूंजी	३,०५,००,००,२००	०	३,०५,००,००,२००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
		पूंजी	२,६९,२२,०३,१००	०	२,६९,२२,०३,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२५.	खनिज साधन	राजस्व	९५,६८,२००	०	९५,६८,२००
२६.	संस्कृति	राजस्व	१०,३१,०१,२००	०	१०,३१,०१,२००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	२,०७,१४,०००	०	२,०७,१४,०००
		पूंजी	११,८७,०३,०००	०	११,८७,०३,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	१,६७,००,१००	०	१,६७,००,१००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२,००,००,०००	८,५८,००,०००	१०,५८,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	७,१०,०००	०	७,१०,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	५९,४४,७३,२००	०	५९,४४,७३,२००
३७.	पर्यटन	पूंजी	७५,६०,००,०००	०	७५,६०,००,०००
३८.	आयुष	राजस्व	३०,२६,८८,५००	०	३०,२६,८८,५००
		पूंजी	३,८७,८८,०००	०	३,८७,८८,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२,४२,८५,८४,५००	०	२,४२,८५,८४,५००
		पूंजी	४,२०,००,०००	०	४,२०,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	१,०३,७३,९४,६००	०	१,०३,७३,९४,६००
		पूंजी	१८,१६,८५,४००	०	१८,१६,८५,४००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	३,४००	०	३,४००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	३५,००,००,१००	०	३५,००,००,१००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
		पूंजी	७५,००,०३,१००	०	७५,००,०३,१००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	१३,९५,०००	०	१३,९५,०००
		पूंजी	४,५९,२३,०००	०	४,५९,२३,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	७,४०,६४,०००	०	७,४०,६४,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	४७,९०,२२,५००	०	४७,९०,२२,५००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३५,९९,३३,०००	०	३५,९९,३३,०००
५३.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१००	०	१००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	७५,९७,५१,८००	०	७५,९७,५१,८००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूँजी	६,०४,३३,०००	०	६,०४,३३,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	८०,७५,०००	०	८०,७५,०००
		पूँजी	२४,१७,०३,०००	०	२४,१७,०३,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूँजी	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	१,१७,५३,३३,७००	०	१,१७,५३,३३,७००
		पूँजी	५,४४,६५,२००	०	५,४४,६५,२००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	२,६९,००,००,०००	०	२,६९,००,००,०००
		पूँजी	४,२६,९५,०००	०	४,२६,९५,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	२,५०,००,०००	९२,०६,१००	३,४२,०६,१००
६८.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१००	०	१००
७१.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
		पूँजी	३,००,००,००,०००	०	३,००,००,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	४२,००,००,१००	१००	४२,००,००,२००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१८,४३,९१,२६,०००	०	१८,४३,९१,२६,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	३,९९,६२,९६,३००	१०,००,००,०००	४,०९,६२,९६,३००
	योग : { राजस्व	४३,६१,६५,०१,३००	३,६४,७०,०६,२००	४७,२६,३५,०७,५००
	{ पूंजी	११,६३,३६,०५,५००	०	११,६३,३६,०५,५००
	वृहद योग :	५५,२५,०१,०६,८००	३,६४,७०,०६,२००	५८,८९,७१,१३,०००

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

क्र. 10104-381-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 OF 2015

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 6) ACT, 2015.

[Received the assent of the Governor on the 28<sup>th</sup> December, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28<sup>th</sup> December, 2015.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2015-2016.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 6) Act, 2015.

Issue of Rs. 58,89,71,13,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees Five Thousand Eight Hundred Eightynine Crore Seventy One Lakhs Thirteen Thousand towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2015-2016 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

## THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
..	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	3,45,11,00,000	3,45,11,00,000
01.	General Administration			
	Revenue	22,83,60,000	9,00,000	22,92,60,000
03.	Police			
	Revenue	700	0	700
	Capital	90,00,000	0	90,00,000
05.	Jail			
	Revenue	13,00,00,000	0	13,00,00,000
06.	Finance			
	Revenue	3,14,56,000	0	3,14,56,000
10.	Forest			
	Revenue	64,75,00,000	0	64,75,00,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development			
	Revenue	34,89,15,000	0	34,89,15,000
14.	Animal Husbandry			
	Revenue	11,68,33,000	0	11,68,33,000
15.	Financial Assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan			
	Revenue	25,08,82,000	0	25,08,82,000
16.	Fisheries			
	Revenue	6,63,32,000	0	6,63,32,000
17.	Co-operation			
	Revenue	58,45,84,000	0	58,45,84,000
18.	Labour			
	Revenue	1,70,00,000	0	1,70,00,000
22.	Urban Development and Environment			
	Revenue	2,14,07,06,600	0	2,14,07,06,600



(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
23.	Water Resources Department			
	Revenue	4,20,00,000	0	4,20,00,000
	Capital	3,05,00,00,200	0	3,05,00,00,200
24.	Public Works—Roads and Bridges			
	Revenue	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
	Capital	2,69,22,03,100	0	2,69,22,03,100
25.	Mineral Resources			
	Revenue	95,68,200	0	95,68,200
26.	Culture			
	Revenue	10,31,01,200	0	10,31,01,200
27.	School Education (Primary Education)			
	Revenue	2,07,14,000	0	2,07,14,000
	Capital	11,87,03,000	0	11,87,03,000
28.	State Legislature			
	Revenue	1,67,00,100	0	1,67,00,100
29.	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	2,00,00,000	<b>8,58,00,000</b>	10,58,00,000
31.	Planning Economics and Statistics			
	Revenue	7,10,000	0	7,10,000
34.	Social Justice			
	Revenue	59,44,73,200	0	59,44,73,200
37.	Tourism			
	Capital	75,60,00,000	0	75,60,00,000
38.	Ayoush			
	Revenue	30,26,88,500	0	30,26,88,500
	Capital	3,87,88,000	0	3,87,88,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection			
	Revenue	2,42,85,84,500	0	2,42,85,84,500
	Capital	4,20,00,000	0	4,20,00,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan			
	Revenue	1,03,73,94,600	0	1,03,73,94,600
	Capital	18,16,85,400	0	18,16,85,400
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan—Roads and Bridges			
	Capital	3,400	0	3,400

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
44.	Higher Education	Revenue	100	0	100
		Capital	35,00,00,100	0	35,00,00,100
45.	Minor Irrigation Works	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
		Capital	75,00,03,100	0	75,00,03,100
47.	Technical Education and Skill Development	Revenue	13,95,000	0	13,95,000
		Capital	4,59,23,000	0	4,59,23,000
48.	Narmada Valley Development	Revenue	7,40,64,000	0	7,40,64,000
50.	Horticulture and Food Processing	Revenue	47,90,22,500	0	47,90,22,500
52.	Financial Assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	35,99,33,000	0	35,99,33,000
53.	Financial Assistance to Urban Bodies under Schedule Castes Sub-Plan	Revenue	100	0	100
55.	Women and Child Development	Revenue	75,97,51,800	0	75,97,51,800
57.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department	Capital	6,04,33,000	0	6,04,33,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes	Revenue	80,75,000	0	80,75,000
		Capital	24,17,03,000	0	24,17,03,000
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhand package	Capital	20,00,00,000	0	20,00,00,000
64.	Scheduled Castes Sub-Plan	Revenue	1,17,53,33,700	0	1,17,53,33,700
		Capital	5,44,65,200	0	5,44,65,200
66.	Welfare of Backward Classes	Revenue	2,69,00,00,000	0	2,69,00,00,000
		Capital	4,26,95,000	0	4,26,95,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
67.	Public Works-Buildings	Revenue	2,50,00,000	<b>92,06,100</b>	3,42,06,100
68.	Financial Assistance to Tribal Area Sub-Plan-Urban Bodies	Revenue	100	<b>0</b>	100
71.	Expenditure pertaining to Shimhast, 2016	Revenue	5,00,00,00,000	<b>0</b>	5,00,00,00,000
		Capital	3,00,00,00,000	<b>0</b>	3,00,00,00,000
73.	Medical Education Department	Revenue	42,00,00,100	<b>100</b>	42,00,00,200
74.	Financial Assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	18,43,91,26,000	<b>0</b>	18,43,91,26,000
75.	Financial Assistance to Urban Bodies	Revenue	3,99,62,96,300	<b>10,00,00,000</b>	4,09,62,96,300
	<b>Total</b> ...	{ Revenue ..	43,61,65,01,300	<b>3,64,70,06,200</b>	47,26,35,07,500
		{ Capital ..	11,63,36,05,500	<b>0</b>	11,63,36,05,500
	<b>Grand Total</b> ..		55,25,01,06,800	<b>3,64,70,06,200</b>	58,89,71,13,000